2024/215

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थीया:– निकिता कंवर पुत्री तेजपाल सिंह नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मीना कंवर पत्नी तेजपाल सिंह जाति राजपूत निवासी आकोदा तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन राज0 वगै0।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– कल्याण सिंह पुत्र खांगसिंह जाति राजपूत निवासी आकोदा तहसील मौलासर, जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान, वगैरा।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...77/2024 सन्–2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
29.05.2024	प्रार्थीया निकिता कंवर पुत्री तेजपाल सिंह नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मीना कंवर पत्नी तेजपाल सिंह जाति राजपूत निवासी आकोदा तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन राज0 वगै0 ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण कल्याण सिंह पुत्र खांगसिंह जाति राजपूत निवासी आकोदा तहसील मौलासर, जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान, वगैरा के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद आकोदा, पटवार हल्का–आकोदा के खसरा नम्बर 200, 451, 452, 502, 503 की भूमि में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें व किसी प्रकार का बैचाण नही करें। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। **नोट :–** 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनाँक 04.07.2024 को पेश हो। (Sd.) उपखण्ड अधिकारी डीडवाना 4/7/24 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 22/8/24 को पेश हो।	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम की तारीख
13.5.26 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण अनु.। प्रार्थीगण व वकील प्रार्थीगण को बार-बार आवाज लगाने के बावजूद न्यायालय में उप. नहीं होने पर पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	